(9)

पक्षकारों एवं अधि० आदि के हस्ताक्षर

श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर पीठ रीवा संभाग रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

नि० 4446-III-13

राजकरण पटेल तनयश्री काशीनाथ पटेल सा0 पड़रिया तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0
----आवेदक / रेस्पा0

बनाम

शिवदयाल पटेल तनय श्री काशीनाथ पटेल सा0 पड़रिया तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0
----अनावेदक / अपीलान्ट

निगरानी बिरुद्ध आदेश श्री अनुबिभागीय अधिकारी प्रभारी तहसील रायपुर कर्चु0 रा0 प्रकरण क0 21अ6/ 09-010 आदेश दिनांक 04/10/13 मुताविक धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सहिता सन1959ई0

700
2-12-13

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है।

1-यह कि अधी0 न्यायालय की आज्ञा बिधि एवं प्रक्रिया के बिरुद्ध है।

2-यह कि यह स्वीकृत है कि भूमि नं0 1325, 1326 ,1327,1328,1329 कुल किता 5 रकवा 3.87 ए0 आवेदक व अनावेदक के पिता काशी पटेल के स्वत्व व कब्जे दखल में दर्ज थी, जिसका बटनवारा के ओधार पर नामान्तरण आवेदक के पिता ने आवेदक के पक्ष में निष्पादित कराया था, तथा नामान्तरण पंजी में नामान्तरण की सहमति में अपने निवासी अगूठा लगाया था, चूकि दिनांक 29/12/82 को नामानतरण स्वीकार किये गये दिनांक को अनावेदक / अपीलान्ट बादग्रस्त भूमियो का भूमिस्वामी दर्ज नही था, इसलिये उसे आवेदक के पक्ष में हुए बटनवारे के आधार पर किये गये नामान्तरण की व्यक्तिगत सूचना देने की आवश्यकता नही थी, किन्तु इस्तहार आदि के द्वारा नामान्तरण के दिनांक को ही अनावेदक को नामान्तरण की जानकारी थी, किन्तु अनावेदक द्वारा नामान्तरण आदेश के 18 वर्ष के बाद प्रस्तुत अबधि बाधित अपील में उसे रूचिकर पक्षकार मानकर व्यक्तिगत सूचना न देना मानते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी कन्डोन करने में अधी0 न्यायालय ने भूल की है।

राजकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–4446-III / 13** जिला–रीवा

राजकरण पटेल / शिवदपाल पटेल

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री हीरालाल पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 21 / अ–27 / अपील / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 04.10.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	